

रिपोर्ट पटवारी अ.न./अ.डोएल0आर0 ककराना / पंखरा
 के सम्बन्ध में जांच की गई जिसके अनुसार
 ग्राम ककराना में जमाबंदी लिफ्ट 2015-78 के अंतर्गत
 351 में शशी को नाम शज्वर सिंह पु रामशुमार दर्ज है जो कि
 दुखमेजा के आधार पर शज्वर सिंह पु रामशुमार किया जाना
 है।

तहसीलदार (मु.अ) उदयपुरवाटी / गुढागीड़जी

16/11/21

राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी प्राथम्य उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आदिदक नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशप्ता की जाती है /

दुरुस्त किया जाना उचित है।

16/11/2021
 तहसीलदार (मु.अ) उदयपुरवाटी / गुढागीड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन महायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिना बुधुनू (राज.)
 - आदेश :-

दिनांक :- 16/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षी एवं तहसीलदार (मु.अ) उदयपुरवाटी / गुढागीड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मु.अ) उदयपुरवाटी / गुढागीड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जायेगी है।)
1	ककराना	2015-78	349	शज्वर सिंह	शज्वर सिंह पु रामशुमार
			351	शज्वर सिंह पु रामशुमार	

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 16/11/21

क्रमांक - राजस्व / 2020 / 1116-17
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मु.अ) उदयपुरवाटी / गुढागीड़जी को वारंते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

